

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
NEW DELHI

**INDEX**

*IN*

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF  
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD**

**(Respondent No. 1)**

in

Original Application No. 627 of 2024

Gopal Chandra Vanwassi

Applicant

Versus

Uttarakhand Pollution Control Board

Respondents

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1
2.	Action Taken Report	2 - 4
3.	<b><u>Annexure No. 1:</u></b> Copy of letter dated 07.10.24	5
4.	<b><u>Annexure No.2:</u></b> Copy of report dated 02.12.24	6-16

Dated: January 2025



*Member Secretary*  
Uttarakhand Pollution Control Board

**Action Taken Report on behalf of Uttarakhand Pollution  
Control Board**

**In matter of**

Original Application No. 627/2024

Gopal Chandra Vanwassi v. Uttarakhand Pollution Control Board

1. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 17.09.2024 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

“....

*8. We have gone through the report filed by UKPCB. As per the report, the Project Proponent is drawing water from River Pinder and is also discharging water into River Pinder through the drain. There is no mention in the report regarding quality of water. The status of compliance with consent conditions has also not been looked into by UKPCB as from the consent conditions it appears that the Project Proponent is not permitted to discharge any trade effluent outside the premises. UKPCB is directed to examine these aspects and submit further report within one month and also to ensure its representation before this Tribunal on the next date.*

....”

2. That in compliance with aforesaid directions of this Hon'ble Tribunal, it is humbly submitted that earlier, the Member Secretary, UKPCB vide letter dated 07.10.2024 instructed R.O. Dehradun to



comply with the afore-mentioned order and provide a report to UKPCB in 15 days. In this connection, a copy of the letter dated 07.10.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 1.**

3. That further in compliance of letter dated 07.10.2024 site inspection was conducted on 02.12.2024 in the presence of Shri Ramesh Chandra Thapliyal, representative of the Stone Crusher.
4. During the inspection it was found that the Stone crusher has been granted permission for 20 tons per hour capacity for 10 years by the Geology and Mining Unit, Directorate of Industries Uttarakhand, Bhopalpani, Dehradun.
5. That the Stone crusher has been granted the requisite water-air consent by UKPCB till 31.03.2027 on 02.05.2022.
6. It was found that all the casing points have been covered with road sheds by Stone Crusher and sprinklers have been installed for sprinkling water at dust producing places and green belt has been developed in the campus.
7. That the Stone crusher has constructed a 10-12 feet high boundary wall by joining GIE sheets with angles. RCC road has been constructed in the premises and all conveyor belts have been covered. The Sedimentation tank and settling tank (industrial effluent purification plant) have been established for recycling of



water generated from washing of RBM etc. by stone crusher. The water generated from the process is being recycled and used.

8. That as per the inspection report, Stone Crusher is not releasing any effluent into the river, and Stone Crusher is complying with conditions of the water and air consents. In this connection, a copy of the report dated 02.12.24 is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this affidavit.

The above report is being presented for the consideration of Hon'ble NGT.



*(Dr. Parag Madhukar Dhakate)*

*Member Secretary*

Uttarakhand Pollution Control Board





70

मुख्यालय Annexure-1  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46वी, आई.टी. पार्क, राहसरथारा रोड, देहरादून  
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-793/2024/933,

दिनांक 04.10.2024

एन0जी0टी0 नैटर

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
देहरादून।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 627/2024 Gopal Chandra Vanwassi Vs. Uttarakhand Pollution Control Board & Ors. के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 627/2024 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अन्य निर्देशों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

8. We have gone through the report filed by UKPCB. As per the report, the Project Proponent is drawing water from River Pinder and is also discharging water into River Pinder through the drain. There is no mention in the report regarding quality of water. The status of compliance with consent conditions has also not been looked into by UKPCB as from the consent conditions it appears that the Project Proponent is not permitted to discharge any trade effluent outside the premises. UKPCB is directed to examine these aspects and submit further report within one month and also to ensure its representation before this Tribunal on the next date.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया प्रकरण पर 15 दिनों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 में आख्या प्रेषित की जा सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001  
टेलीफोन नं.-0135-3593200..

पत्रांक सं0-यूकेपीसीबी/आरओडी/एन.जी.टी.-114/2024-25/3012-1551

दिनांक: 21/12/24

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46बी,  
आई.टी. पार्क सहस्त्रधारा रोड,  
देहरादून।


विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 627/2024 Gopal Chandra Vanwassi Vs. Uttarakhand Pollution Control Board & Ors में पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में निरीक्षण के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 Gopal Chandra Vanwassi Vs. Uttarakhand Pollution Control Board & Ors में पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.-183-793/2024/933, दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रकरण अभ्युदय स्टोन केशर, थराली कुलसारी, जिला चमोली द्वारा को बोर्ड द्वारा निर्गत जल-वायु सहमति का अनुपालन किये जाने के सम्बंध में स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.12.2024 को किया गया। स्टोन केशर द्वारा निर्गत जल-वायु सहमति में वर्णित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। निरीक्षण आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(अमित पोखरियाल)  
क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 627/2024 Gopal Chandra Vanwassi Vs. Uttarakhand Pollution Control Board & Ors के सम्बंध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.-183-793/2024/933, दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से प्राप्त पत्र जिसमें मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 627/2024 Gopal Chandra Vanwassi Vs Uttarakhand Pollution Control Board & Ors के अनुपालन में मै0 अभ्युदय स्टोन केशर ग्राम, सुनला, तहसील थराली, जिला चमोली गढ़वाल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.12.2024 को स्टोन केशर के प्रतिनिधि श्री श्री रमेश चन्द्र थपलियाल की उपस्थिति में किया गया, निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. स्टोन केशर को भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखंड, भोपालपानी, देहरादून के पत्र संख्या 2117/स्टो0के0नवी0/भू0खनि0ई0/चमो0/2021-22, दिनांक 29 सितम्बर 2021 के माध्यम से 10 वर्ष हेतु 20 टन प्रति घंटा क्षमता हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)
2. स्टोन केशर को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पत्र संख्या यूकेपीसीबी/आर.आ.डी./सहमति/चमोली-68/2022-23/493-194 दिनांक 02.05.2022 के द्वारा दिनांक 31.03.2027 तक जल-वायु सहमति प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न)
3. स्टोन केशर द्वारा सभी केशिंग बिन्दुओं को रोड शेडकवर किया गया है एवं धूल जनित स्थानों पर जल छिड़काव हेतु फव्वारों की स्थापना की गयी है व परिसर में हरित पट्टिका विकसित की गयी है।
4. स्टोन केशर द्वारा जीआई शीट को एंगल से जोड़कर 10-12 फीट ऊँची बाउंड्रीवॉल तथा परिसर में आर.सी.सी. रोड का निर्माण किया गया है व सभी कनवेयर वेल्ड को कवर किया गया है।
5. स्टोन केशर द्वारा आर.बी.एम. आदि की धुलाई से जनित जल के पुनः चकण हेतु सेडीमेन्टेशन टैंक एवं सेटलिंग टैंक (औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र) की स्थापना की गयी है। प्रक्रिया से जनित जल को पुनः चकण कर उपयोग में लाया जा रहा है। (फोटोग्राफ संलग्न)
6. स्टोन केशर द्वारा किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह नदी में नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसकी पुष्टि निरीक्षण के समय की गयी है एवं स्टोन केशर द्वारा जल-वायु सहमति का अनुपालन किया जा रहा है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(दीपेन्द्र भट्ट)  
अनु0सहा0

  
(एस.एस. चौहान)  
सहा0वैज्ञा0अधि0

क्षेत्रीय अधिकारी



भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या : 2117/स्टो0क्रे0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/चमो0/2021-22,

दिनांक 24 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपत्र (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तु उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधान के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लोधा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भू0खनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 17/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/चमो0/2021-22, दिनांक 24 सितम्बर 2021 के द्वारा मै0 अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत जिला अल्मोड़ा के पक्ष में ग्राम सुनला, तहसील थराली, जनपद चमोली के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 554/1764 म0, 541/1765 म0, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561 व खसरा संख्या 562, कुल रकवा 0.283 है0 (उपलब्ध कराये गये खसरा विवरण के अनुसार) नाप भूमि में पूर्व से स्वीकृत/स्थापित स्टोन क्रेशर के संचालन की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 22 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, सं0 1933/VII-1/18 स्टोन क्रेशर/2016 देहरादून दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा मै0 अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत जिला अल्मोड़ा को ग्राम सुनला, तहसील थराली, जनपद चमोली के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 555, 556 म0, 557, 561 म0, 562 म0, कुल रकवा 0.132 है0 नाप भूमि में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2016 यथासंशोधित 14.12.2016 के अन्तर्गत 20 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन (5 वर्ष की अवधि के लिये अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 17/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/चमो0/2021-22, दिनांक 24 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव

के क्रम उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत मै0 अम्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत जिला अल्मोड़ा के पक्ष में ग्राम सुनला, तहसील थराली, जमपद चमोली के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 554/1764 म0, 541/1765 म0, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561 व खसरा संख्या 562, कुल रकमा 0.203 है0 (उपलब्ध कराये गये खसरा विवरण के अनुसार) नाप भूमि में पूर्व से स्वीकृत/स्थापित 20 टन/घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर के संचालन की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 22 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:-

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (15) व बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकॉर्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ड.) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
9. उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, सं0 1933/VII-1/18 स्टोन क्रेशर/2016 देहरादून दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 व प्लांट स्वामी के आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित प्लांट की क्षमता 20 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता  $90 \times 20 \times 10 = 18,000$  टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात् अक्टूबर से जू

- तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता  $45 \times 20 \times 10 = 9,000$  टन होती है तथा वर्ष में 72,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
10. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्चराईजिंग, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
  11. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
  12. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
  13. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-1/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  14. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

24/09/20  
(एस0एल0 पैट्रिक)  
अपर निदेशक।

तद्दिनांकित।

संख्या: 2117/स्टो0क्रेश0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/चमो0/2021-22,

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के पत्रों कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. मै0 अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत जिला अल्मोड़ा।

(एस0एल0 पैट्रिक)  
अपर निदेशक



**REGIONAL OFFICE**  
**Uttarakhand Pollution Control Board**  
**E-115, Nehru Colony, Dehra Dun (Uttarakhand)**

Web : www.ukpcb.ug.gov.in, E-mail : roo@ukpcb@gmail.com

UKPCB/ROD/Con/CH-68/2022-23/493-194

Date: 02/05/2022  
 REGD. POST

To,

M/s Abhyuday Uttarakhand  
 Vill. Sunala, Tehsil Tharali  
 Distt. Chamoli.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2) of the "Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

Application No. 1938089      Dated : 10.12.2021

CCA is hereby granted to M/s Abhyuday Uttarakhand located at Vill. Sunala, Tehsil Tharali, Distt. Chamoli subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is granted up to 31.03.2027 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values      268.50 Lakhs:-

S. No.	Last CCA		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity	Product	Quantity
1	Stone Grits	6000 MT/Month	Stone Grits	6000 MT/Month

2. Specific Conditions under Water Act:

- (i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	Nil	Nil
Sewage	0.5 KLD	0.5 KLD

- (ii) Trade effluent treatment and disposal - Nil.

- (iii) Sewage Treatment and Disposal: The domestic waste water generated should be treated and disposed as per norms.

3. Conditions under Air Act :-

- (i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity KLD/MTD	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1.	D.G. Set (125 KVA)	8.0	HSD	.	Acoustic Enclosure	.

Ambient Air Quantity

Suspended Particulate Matter (SPM)	Not to Exceed	600 µg/M <sup>3</sup>
------------------------------------	---------------	-----------------------

*In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.*

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

#### 4. Conditions under HW Rules :-

- (i) Number of authorization and date of issue : -----  
(ii) The Factory Manager of M/s Abhyuday Uttarakhand is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.  
(iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule I - 5.1	0.010 MT	Store in MS Drum, Recyclable

- (iv) The authorization shall be in force for 31.03.2027.  
(v) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

#### Terms and conditions of authorization:

- (i) The authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made thereunder.  
(ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.  
(iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.  
(iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.  
(v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.  
(vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.  
(vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF or CPCB/SPCB from time to time.
5. This CCA is valid for **Crushing and Screening Process** only.  
6. Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-  
(i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.  
(ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.  
(iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.  
7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.

U.P.P.C.B.

Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

8. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

*Pil*  
Regional Officer (I/c)

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.

Regional Officer (I/c)  
Annexure

### Specific Conditions:

1. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the end of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed.
2. A Solid wastes generated from the industry has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies/ground water/soil etc. does not take place.
3. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
4. The applicant shall develop green belt within the premises.
5. The industry shall comply with the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2016 notified under the Environment (Protection) Act, 1986 (as amended).
6. The industry shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made thereunder.
7. The industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
8. The industry situated nearby the River Ganga and its tributaries shall ensure the treatment facilities and disposal arrangement in such a way so that no waste water is discharged in water stream or water bodies.
9. Unit shall strictly comply with the provisions of the The Public Liability Insurance Act, 1991 as amended and Rules made there under and shall submit copies of Insurance Policies (if any) to the Board Offices regularly.
10. There should be no effluent discharge outside the unit premises.
11. The stone crushing unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under, so that ambient air quality not exceed to prescribed limit at any time.
12. The Stone Crushing Units/Screening Plants/Mobile Stone Crusher/Mobile Screening Plants/Hot Mix Plants/Ready Mix Plants shall strictly follow the Uttarakhand Stone Crushing Units/Screening Plants/Mobile Stone Crusher/Mobile Screening Plants/Hot Mix Plants/Ready Mix Plants Anugya Nitti- 2021 (as amended time to time), promulgated by the State Government.
13. This consent is valid for Crushing and Screening only. If any change in process, product, capacity, unit must be obtained fresh CTE/COP as per Act.
14. This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
15. The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
16. The CCA is valid for domestic effluent only, Industrial effluent should not be generated.
17. The unit shall ensure to submit compliance report along with ambient air quality report in every 6 months .
18. Unit shall ensure to control air quality followed by regular spray water in premises and link road.
19. Unit should comply as per the measures given in E(P) Rule-1986 as amended time to time.
20. Unit should have all the valid permissions from the State Government and the concerning departments.
21. Unit should not operate without permission from Government (Anugya) and should have all the valid permissions from the concerning departments.
22. This CCA issued in accordance with the license given by the District Magistrate vide no. 2117/stone Crusher ren/Kh/2021 Dated. 24.09.2021 at any stage . if the said permission is suspended/Cancelled, this CCA will be deemed cancelled.
23. This Consent is being issued as per the letter issued by Secretary Government of Uttarakhand vide letter no. 1590/VII-A-1/2021/9(244)/2019 dated 15-09-2021 subject to the final adjudication of the writ petition (PIL) 212/2019 before Hon'ble High Court of Uttarakhand (Trilok Chand Vs State of Uttarakhand).

**General Conditions:**

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a 06 month from the laboratory recognized by the MoE&F and shall report to the UEPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point.
4. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
5. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
8. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
9. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
10. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
11. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the Board.

*Piv*  
Regional Officer (I/c)

